

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

शासन के आदेश क्रमांक : प.10(1)शिक्षा-6/2017/पार्ट जयपुर दिनांक : 27.08.2021, 12.10.2021 एवं 13.06.2022 द्वारा नये खेलों को विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है। उक्त खेलों का विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में सफल संचालन एवं आयोजन संबंधी सुचारु व्यवस्था के लिये भार को दृष्टिगत रखते हुए प्रतियोगिता (शाला क्रीड़ा) शुल्क में निम्नानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नियमावली		विषय	संशोधन / परिवर्तन	
	नियम संख्या	पृष्ठ संख्या		पूर्व निर्धारित दर	संशोधित दर
1.	12.1.4	36	जिले की समस्त मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी (निजी व अनुदान प्राप्त) व गैर अनुदान प्राप्त उमावि/मावि हेतु प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क चाहे वह खेल प्रतियोगिता में भाग ले या न ले	प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क सामान्य वर्ग से 10/- रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक एवं आरक्षित वर्ग से 5/- रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक	प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क सामान्य वर्ग से 20/- रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक एवं आरक्षित वर्ग से 10/- रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक

उपर्युक्त परिवर्तित दरें शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं, साहित्य-सांस्कृतिक प्रवृत्तियां आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका-2005 के संस्करण 2021 में भी संशोधित की जाती है तथा ये सत्र 2022-23 से प्रभावी होगी।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

दिनांक : 14.07.2022

क्रमांक : शिविरा/माध्य/खेलकूद-4/35151/खेलकूद कलेंडर/2013-14/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
02. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (पंचायती राज) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर।
05. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
06. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर।
07. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
08. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर।
09. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार संशोधन हेतु।
13. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को पालनार्थ।
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)-माध्यमिक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या पीएसपी पोर्टल के अनुसार(प्रति संलग्न करते हुए) शुल्क संग्रहित करना सुनिश्चित करें।
15. प्रधानाचार्य, सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर/राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
16. समस्त केन्द्राधीक्षक, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास।
17. रक्षित पत्रावली।

(34)

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।